बिहार सरकार
आपदा प्रबंधन विभाग

ब्लॉक–सी0, सरदार पटेल भवन, जवाहरलाल नेहरू मार्ग (बेली रोड), पटना–800023
दूरभाष: 0612 2294201, 2294202(फैक्स), ई–मेल: secy-disastermgmt-bih@nic.in

पत्रांक–01 / प्रा०आ०(COVID-19)–09 / 2020 / **1808** / आ0प्र0 पटना–23, दिनांक–**13.05.2021**

प्रेषक,

प्रत्यय अमृत,
अपर मुख्य सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार।

विषय :– **कोरोना वायरस (COVID-19) संक्रमण के प्रसार पर नियंत्रण के लिए दिनांक–04.05.2021 को राज्य सरकार के द्वारा लगाए गए विभिन्न प्रतिबंधों के आलोक में मजदूर, निर्धन, निराश्रित, निःशक्त आदि जरूरतमंद व्यक्तियों के लिए भोजन की व्यवस्था हेतु सभी जिलों में चिन्हित स्थानों पर सामुदायिक रसोई स्थापित करने के संबंध में।**

प्रसंग :– **विभागीय पत्रांक–1715 / आ०प्र० दिनांक–04.05.2021।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र का कृपया स्मरण किया जाए, जिसके माध्यम से कोरोना वायरस (COVID-19) संक्रमण के प्रसार पर नियंत्रण के लिए दिनांक–04.05.2021 को राज्य सरकार के द्वारा लगाए गए विभिन्न प्रतिबंधों के आलोक में दिनांक–05.05.2021 से 15.05.2021 तक मजदूर, निर्धन, निराश्रित, निःशक्त आदि जरूरतमंद व्यक्तियों के लिए भोजन की व्यवस्था हेतु सभी जिलों में चिन्हित स्थानों पर सामुदायिक रसोई स्थापित करने का निदेश दिया गया है। ज्ञातव्य है कि दिनांक–13.05.2021 को आपदा प्रबंधन समूह की सम्पन्न बैठक में लिए गए निर्णय के आलोक में गृह विभाग (विशेष शाखा), बिहार, पटना के आदेश ज्ञापांक–2884 दिनांक–13.05.2021 के द्वारा उक्त अवधि का विस्तार पूर्व में लगाए गए प्रतिबंधों में आंशिक संशोधनों के साथ दिनांक–25.05.2021 तक किया गया है। इसी क्रम में यह भी निर्णय लिया गया है कि सरकार द्वारा संचालित डेडिकेटेड कोविड अस्पताल (DCH), कोविड केयर सेंटर (CCC) एवं डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर (DCHC) पर मरीजों की देख–रेख में लगे परिजनों के खाने के लिए सामुदायिक रसोई के माध्यम से जिला प्रशासन के द्वारा व्यवस्था की जाएगी।

अतः उपर्युक्त के आलोक में पूर्व से संचालित सामुदायिक रसोई की संचालन अवधि का विस्तार दिनांक–25.05.2021 तक करते हुए आपके जिलान्तर्गत सरकार द्वारा संचालित डेडिकेटेड कोविड अस्पताल (DCH), कोविड केयर सेंटर (CCC) एवं डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर (DCHC) पर मरीजों की देख–रेख में लगे परिजनों के खाने की व्यवस्था भी सामुदायिक रसोई के माध्यम से की जाए। भोजन की उक्त व्यवस्था में सामुदायिक रसोई के मापदण्ड की तरह ही साफ–सफाई, कोविड प्रोटोकाल का पालन करते हुए social distancing पर विशेष ध्यान दिया जाए।

विश्वासभाजन,

13/5

अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक–01 / प्रा०आ०(COVID-19)–09 / 2020 / **1808** / आ0प्र0 पटना–23, दिनांक–**13.05.2021**

प्रतिलिपि:–सभी प्रमण्डलीय आयुक्त / वरीय पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

13/5

अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक–01 / प्रा०आ०(COVID-19)–09 / 2020 / **1808** / आ0प्र0 पटना–23, दिनांक–**13.05.2021**

प्रतिलिपि:–पुलिस महानिदेशक, बिहार / सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक–01 / प्रा०आ०(COVID-19)–09 / 2020 / **1808** / आ0प्र0 पटना–23, दिनांक–**13.05.2021**

प्रतिलिपि:–मुख्य सचिव, बिहार के विशेष कार्य पदाधिकारी / विकास आयुक्त, बिहार के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक–01 / प्रा०आ०(COVID-19)–09 / 2020 / **1808** / आ0प्र0 पटना–23, दिनांक–**13.05.2021**

प्रतिलिपि:– माननीय मुख्यमंत्री, बिहार के प्रधान सचिव को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक–01 / प्रा०आ०(COVID-19)–09 / 2020 / **1808** / आ0प्र0 पटना–23, दिनांक–**13.05.2021**

प्रतिलिपि: माननीय उप मुख्य (आपदा प्रबंधन) मंत्री, बिहार के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

अपर मुख्य सचिव।